/—

संख्या : 2610 /XVII(4)/2011/29/10

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सश0 एवं बा0वि0 विभाग, देहरादूनः दिनांक 24 **दिसम्बर, 2011**

विषय— **वित्तीय वर्ष 2011—12 में आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड की अनुदान संख्या— 15 की 2235—02—102—01—0125 सबला किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु योजना (100 प्रतिशत के0पो0) के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या— 2168—69 / सबला—1552(2) / 2011—12 दिनांक 22—12—2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011—12 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड की अनुदान संख्या— 15 की आयोजनागत पक्ष की योजना के लेखाशीर्षक 2235—02—102—01—0125 सबला किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु योजना के संचालन हेतु कुल धनराशि रू0 133.00 लाख (रू0 एक करोड़, तैंतीस लाख मात्र) की व्यय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2— उक्त व्यय को करते समय मितव्ययता के विषय में निर्गत आदेशों, बजट मैनुअल एवं समय— समय पर जारी तद्विषयक आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3— व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है। किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा। उक्त धनराशि का आहरण / व्यय नियमानुसार मासिक फेजिगं के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। वर्तमान स्वीकृति के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी कि भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जाय तथा जिसका उपयोग योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्भव हो सके।

4— धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008, बजट मैनुअल / वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। व्यय की सूचना बी0एम0—13 पर वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

5— योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग भारत सरकार के योजना सम्बन्धी समय—समय पर निर्गत दिशानिर्देशो के अनुसार किया जायेगा।

6— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 में अनुदान संख्या—15 के लेखाशीर्षक 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,02—समाजकल्याण 102— बाल कल्याण, 01— केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजना— 0125— सबला किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु योजना (100 प्रतिशत के0पो0) की मानक मद— 42— अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 357 (P) / XXVII(3)/2011-12 दिनांक 23—12—2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्याः (1) / XVII(4)/2011/**29/10** तददिनाँक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री / मा0मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमायूं मण्डल नैनीताल।
6. जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, हरिद्वार, नैनीताल, चमोली एवं उत्तरकाशी।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. जिला कार्यक्रम अधिकारी, हरिद्वार, नैनीताल, चमोली एवं उत्तरकाशी।
9. वित्त विभाग / नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्रदीप जोशी)
अनु सचिव